रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05092024-256933
CG-DL-E-05092024-256933

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 493] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 4, 2024/भाद्र 13, 1946
No. 493] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 4, 2024/BHADRA 13, 1946

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 सितम्बर, 2024

सा.का.नि. 535(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम, 1949 (1949 का 66) की धारा 18 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल समूह 'ग' (साधारण ड्यूटी/तकनीकी/ट्रेड्समैन) काडर भर्ती नियम, 2010 को, जहां तक वे ट्रेड्समैन काडर के अन्तर्गत हवलदार (ब्रास बैंड), हवलदार (पाइप बैंड), सिपाही (ब्रास बैंड) तथा सिपाही (पाइप बैंड) के पदों से संबंधित हैं, उन बातों के सिवाए अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने से लोप किया गया है, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में ट्रेड्समैन काडर के अधीन समूह 'ग' बैंड पदों पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, ट्रेड्समैन काडर, समूह 'ग' बैंड पद भर्ती नियम, 2024 है।

   (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. **परिभाषाएं.**- (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

   (क) "महानिदेशक" से केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल का महानिदेशक अभिप्रेत है; और

   (ख) "शेप-I" से समय-समय पर संशोधित केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के स्थायी आदेश संख्या 04/2008 तारीख 15 दिसम्बर, 2008 के अधीन निर्दिष्ट चिकित्सा श्रेणी से है।

(2) जो उन शब्दों और पदों के हैं और परिभाषित नहीं किया गया है, वही अर्थ होंगे जो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम, 1949 और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल नियम, 1955 में है।

3. **लागू होना.- ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।**

4. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.- पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।**

5. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.- उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।**

6. **अनुरक्षण.- प्रत्येक रिक्त पद तथा उसके पश्चात् उत्पन्न होने वाली प्रत्येक रिक्ति, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट उपबंधों तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार भरी जाएगी।**

7. ज्येष्ठता.- ज्येष्ठता, **केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल नियम,**1955 **तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी सामान्य अनुदेशों के अनुसार विनियमित की जाएगी।**

8. **निरर्हता. - कोई भी व्यक्ति,-**

(ए) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(बी) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी व्यक्ति से विवाह किया है, उक्त पदों पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसे विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो किसी भी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

9. **गैर-भारतीय नागरिकों की अपात्रता.**- वह व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, इन नियमों के अधीन लिखित में केंद्रीय सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नियुक्त या नियोजित नहीं किया जाएगा:

परंतु इस नियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी नेपाल अथवा भूटान के नागरिकों को बल में नियुक्ति या नियोजित करने से वर्जित नहीं किया जाएगा।

10. **अधिवर्षिता.**- (1) **इन नियमों के अधीन नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति उस मास के अंतिम दिन के अपराह्न को सेवा से सेवानिवृत्त होगा जिसमें वह साठ वर्ष की आयु प्राप्त करता है या जैसा कि केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किया गया हो:**

परन्तु ऐसा व्यक्ति जिसकी जन्म तिथि किसी मास के प्रथम दिन है, साठ वर्ष की आयु प्राप्त करने पर पूर्ववर्ती मास के अंतिम दिन के अपराह्न में सेवा से सेवानिवृत्त हो जाएगा।

(2) **किसी भी व्यक्ति को अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्ति की विनिर्दिष्ट आयु से आगे सेवा में विस्तार नहीं दिया जाएगा।**

11. **शिथिल करने की शक्ति.- जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लिखित में दर्ज करके, आदेश द्वारा, किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के संबंध में इन नियमों के किसी उपबंध को शिथिल कर सकेगी।**

12. **व्यावृत्ति.**- इन नियमों की कोई भी बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध कराना अपेक्षित है।

13. **निर्वचन.- यदि इन नियमों की व्याख्या से संबंधित कोई प्रश्न उठता है तो उसका निर्णय केन्द्रीय सरकार द्वारा किया जाएगा।**

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद या गैर-चयन पद।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. सहायक उप निरीक्षक (ब्रास बैंड)	*44 (2024) (पुरुष-42 एवं महिला-02) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन संभव है)	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय, योद्धक	स्तर -5 (रु. 29200-92300/-).	चयन

सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा।	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।	सीधी भर्ती के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत।
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रोन्नति द्वारा।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में, वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाना है।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति मौजूद है तो उसकी संरचना क्या है ?	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है।
(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति : वेतन मैट्रिक्स में स्तर -4 (रु.25500-81100/-) में हवलदार (ब्रास बैंड) जिसने नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद उस ग्रेड में कम से कम पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो और जो,- (i) महानिदेशक द्वारा समय-समय पर यथा अपेक्षानुसार निर्दिष्ट प्रोन्नति पाठ्यक्रम या ट्रेड परीक्षा या पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किया हो ; (ii) चिकित्सा श्रेणी शेप -I में है; और (iii) सेवा का अच्छा रिकार्ड है **टिप्पण:** जहां ऐसे कनिष्ठ कार्मिकों पर विचार किया जाएगा, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है या जिनकी प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा है, वहां उनसे वरिष्ठ कार्मिकों पर भी विचार किया जाएगा, परंतु उन्होंने अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष, इनमें से जो भी कम हो, से कम न किया हो और उन्होंने उन कनिष्ठ व्यक्तियों के साथ, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।	**समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें शामिल हैं : -** 1. **उप महानिरीक्षक, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल - अध्यक्ष ;** 2. **कमांडेंट, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल - सदस्य;** 3. द्वितीय कमान अधिकारी **या** उप **कमांडेंट, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल - सदस्य;** 4. **सहायक कमांडेंट, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल - सदस्य;** 5. **बल का एक सदस्य जो उप-निरीक्षक के पद से नीचे का न हो और जिसे सुसंगत कार्य का पर्याप्त ज्ञान हो - सहयोजित सदस्य।**	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. सहायक उप निरीक्षक (पाइप बैंड)	*32 (2024) (पुरुष-30 एवं महिला-02) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन संभव है)	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, गैर अनुसचिवीय, योद्धक	स्तर-5 (रु. 29200-92300/-).	चयन

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रोन्नति द्वारा।

(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति : वेतन मैट्रिक्स में स्तर -4 (रु.25500-81100/-) में हवलदार (पाइप बैंड) जिसने नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद उस ग्रेड में कम से कम पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो और जो,- (i) महानिदेशक द्वारा समय-समय पर यथा अपेक्षानुसार निर्दिष्ट प्रोन्नति पाठ्यक्रम या ट्रेड परीक्षा या पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किया हो ; (ii) चिकित्सा श्रेणी शेप -I में है; और (iii) सेवा का अच्छा रिकार्ड है **टिप्पण :** जहां ऐसे कनिष्ठ कार्मिकों पर विचार किया जाएगा, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है या जिनकी प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा है, वहां उनसे वरिष्ठ कार्मिकों पर भी विचार किया जाएगा, परंतु उन्होंने अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष, इनमें से जो भी कम हो, से कम न किया हो और उन्होंने उन कनिष्ठ व्यक्तियों के साथ, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें शामिल होंगे : - 1. उप महानिरीक्षक, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल - अध्यक्ष; 2. कमांडेंट, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल - सदस्य; 3. द्वितीय कमान अधिकारी या उप कमांडेंट, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल - सदस्य; 4. सहायक कमांडेंट, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल - सदस्य; 5. बल का एक सदस्य जो उप-निरीक्षक के पद से नीचे का न हो और जिसे सुसंगत कार्य का पर्याप्त ज्ञान हो - सहयोजित सदस्य।	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3. हवलदार (ब्रास बैंड)	*176 (2024) (पुरुष-168 एवं महिला-08) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन संभव है)	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, गैर अनुसचिवीय, योद्धक.	स्तर-4 (रु. 25500-81100/-).	चयन

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रोन्नति द्वारा।

(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति : वेतन मैट्रिक्स में स्तर-3 (रु.21700-69100/-) में कांस्टेबल (ब्रास बैंड) जिसने नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद उस ग्रेड में कम से कम पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो और जो,- (i) महानिदेशक, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल द्वारा समय-समय पर यथा अपेक्षानुसार विहित प्रोन्नति पाठ्यक्रम या ट्रेड परीक्षा या पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किया हो ; (ii) चिकित्सा श्रेणी शेप-I में है; और (iii) सेवा का अच्छा रिकार्ड है **टिप्पण :** जहां ऐसे कनिष्ठ कार्मिकों पर विचार किया जाएगा, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है या जिनकी प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा है, वहां उनसे वरिष्ठ कार्मिकों पर भी विचार किया जाएगा, परंतु उन्होंने अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष, इनमें से जो भी कम हो, से कम न किया हो और उन्होंने उन कनिष्ठ व्यक्तियों के साथ, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।	**समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें शामिल होंगे : -** 1. **उप महानिरीक्षक या कमांडेंट, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल -अध्यक्ष;** 2. **उप कमांडेंट, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल - सदस्य;** 3. **सहायक कमांडेंट, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल - सदस्य;** 4. **बल का एक सदस्य जो सहायक उप-निरीक्षक के पद से नीचे का न हो और जिसे सुसंगत ट्रेड का पर्याप्त ज्ञान हो - सहयोजित सदस्य।**	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4. हवलदार(पाइप बैंड)	*80 (2024) **(पुरुष-75 एवं महिला-05)** ***(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन संभव है)**	साधारण **केंद्रीय सेवा, समूह 'ग',** **अराजपत्रित,** गैर अनुसचिवीय, योद्धक	**स्तर-4** (रु. 25500-81100/-).	**चयन**

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रोन्नति द्वारा।

(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति : वेतन मैट्रिक्स में स्तर-3 (रु. 21700-69100/-) में सिपाही (पाइप बैंड) जिसने नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद उस ग्रेड में कम से कम पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो और जो,- (i) महानिदेशक द्वारा समय-समय पर यथा अपेक्षानुसार निर्दिष्ट प्रोन्नति पाठ्यक्रम या ट्रेड परीक्षा या पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किया हो ; (ii) चिकित्सा श्रेणी शेप-I में है; और (iii) सेवा का अच्छा रिकार्ड है **टिप्पण :** जहां ऐसे कनिष्ठ कार्मिकों पर विचार किया जाएगा, जिन्होंने	**समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें शामिल होंगे : -** 1. **उप महानिरीक्षक या कमांडेंट, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल - अध्यक्ष;** 2. **उप कमांडेंट, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल - सदस्य;** 3. **सहायक कमांडेंट, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल - सदस्य;**	लागू नहीं होता।

अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है या जिनकी प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा है, वहां उनसे वरिष्ठ कार्मिकों पर भी विचार किया जाएगा, परंतु उन्होंने अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष, इनमें से जो भी कम हो, से कम न किया हो और उन्होंने उन कनिष्ठ व्यक्तियों के साथ, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।	4. **बल का एक सदस्य जो सहायक उप-निरीक्षक के पद से नीचे का न हो और जिसे सुसंगत ट्रेड का पर्याप्त ज्ञान हो - सहयोजित सदस्य।**	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5. सिपाही **(ब्रास बैंड).**	*462 (2024) (**पुरुष**-441 **और महिला**-21) ***(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन संभव है)**	साधारण **केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित,** गैर अनुसचिवीय, योद्धक	**स्तर** 3 (रु. 21700-69100/-).	**लागू** नहीं होता।

(6)
18 **से** 23 **वर्ष की आयु के बीच** (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों के लिए चालीस वर्ष की आयु तक शिथिल की जा सकती है)। **टिप्पण:** आयु-सीमा निर्धारित करने के लिए निर्णायक तारीख अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी, न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-मंडल और संघ राज्य क्षेत्रों लद्दाख, अंदमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित की गई है।

(7)
(i) मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण ;   (ii) **केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में** सिपाही **(ब्रास बैंड) के पद पर भर्ती के लिए शारीरिक और चिकित्सा मानक समय-समय पर केंद्रीय सरकार द्वारा निर्दिष्ट योजना के अनुसार लागू होंगे; और**   (iii) **अभ्यर्थियों को भर्ती के लिए विज्ञापन में उल्लिखित** सिपाही **(ब्रास बैंड) के लिए निर्दिष्ट शारीरिक दक्षता परीक्षण, लिखित परीक्षा और ट्रेड** परीक्षा **टेस्ट उत्तीर्ण करना होगा।**

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	दो वर्ष। **टिप्पण: केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्दिष्ट परिवीक्षा को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए कम से कम दो सप्ताह की अवधि** की **अनिवार्य** इंडक्शन ट्रेनिंग होगी।	**सीधी भर्ती द्वारा।**

(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	**समूह** 'ग' **विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टिकरण पर विचार करने के लिए) जिसमें शामिल हैं** : - 1.**उप महानिरीक्षक या कमांडेंट, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल - अध्यक्ष;** 2. **उप कमांडेंट, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल - सदस्य;** 3. **सहायक कमांडेंट, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल - सदस्य।**	**लागू** नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6. सिपाही(**पाइप बैंड**)	***160 (2024) (पुरुष-150 और महिला-10)** ***(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन संभव है)**	साधारण **केंद्रीय सेवा, समूह 'ग',** **अराजपत्रित,** गैर अनुसचिवीय, योद्धक	**स्तर** 3 (रु. 21700-69100/-).	**लागू नहीं** होता।

(6)
18 **से** 23 **वर्ष की आयु के बीच** (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों के लिए चालीस वर्ष की आयु तक शिथिल की जा सकती है)। **टिप्पण:** आयु-सीमा निर्धारित करने के लिए निर्णायक तारीख अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी, न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-मंडल और संघ राज्य क्षेत्रों लद्दाख, अंदमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित की गई है।

(7)
(i) मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण ; (ii) **केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में** सिपाही **(पाइप बैंड) के पद पर भर्ती के लिए शारीरिक और चिकित्सा मानक समय-समय पर केंद्रीय सरकार द्वारा निर्दिष्ट योजना के अनुसार लागू होंगे ; और** (iii) **अभ्यर्थियों को भर्ती के लिए विज्ञापन में उल्लिखित** सिपाही **(पाइप बैंड) के लिए निर्दिष्ट शारीरिक दक्षता परीक्षण, लिखित परीक्षा और ट्रेड** परीक्षा **उत्तीर्ण करना होगा।**

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	दो वर्ष। **टिप्पणी: केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्दिष्ट परिवीक्षा को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए कम से कम दो सप्ताह की अवधि** की **अनिवार्य** इंडक्शन ट्रेनिंग होगी।	**सीधी भर्ती द्वारा।**

(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	**समूह 'ग' विभागीय** स्थायीकरण **समिति** (स्थायीकरण **पर विचार करने के लिए) जिसमें शामिल हैं : -** 1. **उप महानिरीक्षक या कमांडेंट, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल - अध्यक्ष;** 2. **उप कमांडेंट, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल - सदस्य;** 3. **सहायक कमांडेंट, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल - सदस्य।**	**लागू नहीं** होता।

[फा. सं. आर.IX-1/2024-संगठन (**बैंड**)]

जी. पार्थसारथी, संयुक्त सचिव (कार्मिक-2)

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th September, 2024

G.S.R. 535(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 18 of the Central Reserve Police Force Act, 1949 (66 of 1949) and in supersession of the Central Reserve Police Force Group 'C' (General Duty/Technical/Tradesmen) Cadre Recruitment Rules, 2010 in so far as they relate to the posts of Head Constable (Brass Band), Head Constable (Pipe Band), Constable (Brass Band) and Constable (Pipe Band) under Tradesmen Cadre except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the Group 'C' Band posts under Tradesmen Cadre in the Central Reserve Police Force, namely:-

1. **Short title and commencement.**- (1) These rules may be called the Central Reserve Police Force, Tradesmen Cadre, Group 'C' Band posts Recruitment Rules, 2024.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.**- (1) In these rules, unless the context otherwise requires,-

   (a) "Director General" means the Director General, Central Reserve Police Force; and

   (b) "SHAPE-I" means the Medical Category as specified under the Central Reserve Police Force Standing Order No. 04 of 2008 dated the 15th December, 2008 as amended from time to time.

   (2) The words and expressions used herein and not defined shall have the same meanings assigned to them in the Central Reserve Police Force Act, 1949 (66 of 1949) and the Central Reserve Police Force Rules, 1955.

3. **Application.**- These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

4. **Number of post, classification and level in the pay matrix.**- The number of posts, their classification and level in pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

5. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.**- The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

6. **Maintenance.**- Every post remained unfilled and every vacancy that may arise thereafter shall be filled in accordance with the provisions as specified in the said Schedule and the procedure as may be specified by the Central Government from time to time.

7. **Seniority.**- Seniority shall be regulated in accordance with the Central Reserve Police Force Rules, 1955 and general instructions issued by the Central Government from time to time.

8. **Disqualification.**- No person,-

   (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

   (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

   shall be eligible for appointment to the said posts:

   Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for doing so, exempt any person from the operation of this rule.

9. **Ineligibility of non-citizens of India.**-No person who is not a citizen of India shall, except with the prior permission of the Central Government in writing, be appointed under these rules:

   Provided that nothing contained in this rule shall debar the appointment or employment of a subject of Nepal or Bhutan in the Force.

10. **Superannuation.**- (1) Every person appointed under these rules shall retire from service on the afternoon of the last day of the month in which he or she attains the age of sixty years or as specified by the Central Government from time to time :

    Provided that a person whose date of birth is on the first day of a month shall retire from service in the afternoon of the last day of the preceding month on attaining the age of sixty years.

(2) No person shall be granted extension in service beyond the specified age of retirement on superannuation.

11. **Power to relax.-** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

12. **Saving.-** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

13. **Interpretation.-** If any question relating to the interpretation of these rules arises, it shall be decided by the Central Government.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in the pay matrix	Selection post or non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Assistant Sub-Inspector (Brass Band).	*44 (2024) (Male-42 and Female-02) *(Subject to variation dependent on work load).	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial, Combatant.	Level-5 (Rs. 29200-92300/-).	Selection.

Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By promotion.

In case of recruitment by promotion or deputation / absorption, grades from which promotion or deputation / absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Promotion : Head Constable (Brass Band) in level-4 (Rs.25500-81100/-) in the pay matrix having not less than five years regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis and who,- (i) has passed promotional course or trade test or courses as specified by the Director General from time to time as per requirements ; (ii) is in Medical category SHAPE-I; and (iii) has good record of service. **Note:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service or being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short	Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering Promotion) consisting of :- 1. Deputy Inspector General, Central Reserve Police Force - Chairperson ; 2. Commandant, Central Reserve Police Force -Member ; 3. Second-in-Command or Deputy Commandant, Central Reserve Police Force -Member ; 4. Assistant Commandant, Central Reserve Police Force - Member ; 5. One member of the Force not below the rank of Sub-Inspector having sufficient knowledge of	Not applicable.

of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with the juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.	relevant trade - Co-opted Member.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. Assistant Sub-Inspector (Pipe Band).	*32 (2024) (Male-30 and Female-02) *(Subject to variation dependent on work load).	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial, Combatant.	Level-5 (Rs. 29200-92300/-).	Selection.

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By promotion.

(11)	(12)	(13)
Promotion : Head Constable (Pipe Band) in level-4 (Rs.25500-81100/-) in the pay matrix having not less than five years regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis and who,- (i) has passed promotional course or trade test or courses as specified by the Director General from time to time as per requirements ; (ii) is in Medical category SHAPE-I; and (iii) has good record of service. **Note:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service or being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with the juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.	Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering Promotion) consisting of :- 1. Deputy Inspector General, Central Reserve Police Force - Chairperson ; 2. Commandant, Central Reserve Police Force -Member ; 3. Second-in-Command or Deputy Commandant, Central Reserve Police Force -Member ; 4. Assistant Commandant, Central Reserve Police Force - Member ; 5. One member of the Force not below the rank of Sub -Inspector having sufficient knowledge of relevant trade - Co-opted Member.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3. Head Constable (Brass Band).	*176 (2024) (Male-168 and Female-08) *(Subject to variation dependent on work load).	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial, Combatant.	Level-4 (Rs. 25500- 81100/-).	Selection.

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By promotion.

(11)	(12)	(13)
Promotion : Constable (Brass Band) in level-3 (Rs.21700-69100/-) in the pay matrix having not less than five years regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis and who,- (i) has passed promotional course or trade	Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :- 1. Deputy Inspector General or	Not applicable.

test or courses as prescribed by the Director General, Central Reserve Police Force from time to time as per requirements ; (ii) is in Medical category SHAPE-I; and (iii) has good record of service. **Note:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service or being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with the juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.	Commandant, Central Reserve Police Force - Chairperson ; 2. Deputy Commandant, Central Reserve Police Force - Member ; 3. Assistant Commandant, Central Reserve Police Force - Member ; 4. One member of the Force not below the rank of Assistant Sub-Inspector having sufficient knowledge of relevant trade - Co-opted Member.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4. Head Constable (Pipe Band).	*80 (2024) (Male-75 and Female-05) *(Subject to variation dependent on work load).	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial, Combatant.	Level-4 (Rs. 25500-81100/-).	Selection.

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By promotion.

(11)	(12)	(13)
Promotion : Constable (Pipe Band) in level-3 (Rs.21700-69100/-) in the pay matrix having not less than five years regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis and who,- (i) has passed promotional course or trade test or courses as specified by the Director General from time to time as per requirements ; (ii) is in Medical category SHAPE-I; and (iii) has good record of service. **Note:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service or being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with the juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.	Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :- 1. Deputy Inspector General or Commandant, Central Reserve Police Force - Chairperson ; 2. Deputy Commandant, Central Reserve Police Force - Member ; 3. Assistant Commandant, Central Reserve Police Force - Member ; 4. One member of the Force not below the rank of Assistant Sub-Inspector having sufficient knowledge of relevant trade - Co-opted Member .	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5. Constable (Brass Band).	*462 (2024) (Male-441 and Female-21) *(Subject to variation dependent on work load).	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial, Combatant.	Level-3 (Rs. 21700-69100/-).	Not applicable.

(6)
Between 18 and 23 years of age (Relaxable for the departmental candidates up to the age of forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).

Note: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh and the Union territories of Ladakh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.

(7)
(i) 10th class pass from a recognised Board; (ii) physical and Medical Standard for recruitment to the post of Constable (Brass Band) in Central Reserve Police Force shall be applicable as per the Scheme specified by the Central Government from time to time; and (iii) the candidates shall qualify physical efficiency test, written examination and trade test as specified for Constable (Brass Band) mentioned in the advertisement for recruitment.

(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Two years. Note: There shall be a mandatory induction training of at least two weeks duration for successful completion of probation as specified by the Central Government.	By direct recruitment.

(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :- 1. Deputy Inspector General or Commandant, Central Reserve Police Force - Chairperson ; 2. Deputy Commandant, Central Reserve Police Force - Member ; 3. Assistant Commandant, Central Reserve Police Force - Member.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6. Constable (Pipe Band).	*160 (2024) (Male-150 and Female-10) *(Subject to variation dependent on work load).	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial, Combatant.	Level-3 (Rs. 21700-69100/-).	Not applicable.

(6)
Between 18 and 23 years of age (Relaxable for the departmental candidates up to the age of forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). **Note:** The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh and the Union territories of Ladakh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.

(7)
(i) 10th class pass from a recognised Board; (ii) physical and Medical Standard for recruitment to the post of Constable (Pipe Band) in Central Reserve Police Force shall be applicable as per the Scheme specified by the Central Government from time to time ; and (iii) the candidates shall qualify physical efficiency test, written examination and trade test as specified for Constable (Pipe Band) mentioned in the advertisement for recruitment.

(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Two years. Note: There shall be a mandatory	By direct recruitment.

	induction training of at least two weeks duration for successful completion of probation as specified by the Central Government.	

(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :- 1. Deputy Inspector General or Commandant, Central Reserve Police Force - Chairperson ; 2. Deputy Commandant, Central Reserve Police Force - Member ; 3. Assistant Commandant, Central Reserve Police Force - Member.	Not applicable.

[F.No. R.IX-1/2024-Org (Band)]

G. PARTHASARATHI, Jt. Secy. (P.II).

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA